

शफलता हेतु ये लोग सामूहिक उपवास रखते हैं। हरियाड़ तथा सीहर्स इनके मुख्य लीदार हैं। बाह्य का लीदार इनका सबसे पवित्र लीदार होता है।

विवाह प्रथा (MARRIAGE SYSTEM) :- संथाली पूर्णतः बहुविवाही होते हैं। ये लोग हमेशा

गोत्र से बाहर विवाह करते हैं। उपगत के अन्तगत विवाह नहीं किया जाता है। बहु विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है परन्तु पत्नी के बँक होने पर उसकी अनुमति ले कर दूसरा विवाह किया जा सकता है। प्राचिन काल में लड़के व लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 25 व 20 वर्ष होती थी परन्तु अब कम उम्र में ही शादियाँ होने लगी हैं। संथालों में छः प्रकार के विवाह प्रचलित हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है -

(a) निश्चित विवाह या बपला :- इस प्रथा में बर पक्ष द्वारा पहल की पहल की जाती है तथा बियाँ लियों (जो रेबर कहलाते हैं) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोनों पक्षों द्वारा लड़का- लड़की पसंद हो जाने पर मैंगनी की रस्म अंश की जाती है। इस समय बर पक्ष द्वारा बधु पक्ष को रुपय व कपड़े दिये जाते हैं। बधु पक्ष द्वारा बर को एक गाय व अन्य उपहार दिये जाते हैं।

(b) धसी जवाई :- यह प्रथा कुरूप लड़कियों हेतु अपनाई जाती है। इसमें लड़के को लड़की से विवाह करने पर एक लौड़ी बैल, खेती के औजार और कुछ चावल भी प्राप्त होता है।

(c) इतुल :- इस प्रथा में यदि कोई लड़की किसी लड़के को पसंद आ जाए तो लड़का उसके माथे पर बैल

पूर्वक टिका लगा कर भाग जाता है। इसके बाद सामुहिक रूप से मिल बैठ कर उन दोनों का विवाह सम्पन्न करा दिया जाता है यदि लड़की का लक्ष्य परसंकेत न हो तो उसे समुचित रूप से नलाकू लेना पड़ता है।

(ब) नीर बेलोके :- इस प्रथा में शत्रु के विपरित लड़की प्रयत्नशील होती है और अपने मनपरसंकेत लड़के के घर में ला कर बैठ जाती है वर पक्ष के लोग घर में भिरी जाता है। यदि लड़की इस लिखी छुंए को सह जाती है तो माना जाता है कि उसने पाल को जीत लिया।

(ग) सैगा :- यह प्रथा विधवा व नलाकूशुका स्त्रियों हेतु है इस प्रथा में स्त्रि अपनी सहेलियों के साथ पुरुष के घर जाती है वहाँ पुरुष उलके वालों व भाथे में सिद्धर लगा देता है और विवाह हो जाता है।

(घ) किरिन जवाई :- यह प्रथा उन स्त्रियों हेतु है जो विवाह पूर्व गर्भवती हो जाती हैं। यदि कोई लड़का ऐसी लड़की से विवाह करने हेतु तैयार होता है तो उसे दो बैल, एक गाय, अनाज व कुछ धन देकर दोनों का विवाह सम्पन्न कराया जाता है।